

अधिकार पत्र (स्थाई)

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

संख्या-422/जि0भू0व्यव0लि0/रा0पा0भ0नि0/ दिनांक-16 जुलाई 2008

उपरोक्त जमीन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उप धारा 6 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 258/रा०-1/16(1)/73 दिनांक 5.3.74 यथा संशोधित संख्या 1722/एक-1/2006-12(23)/06-141-रा०-1 दिनांक-6 नवम्बर 2006 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एस०पी० दीक्षित, जिलाधिकारी मीरजापुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ -1 में उल्लिखित ग्राम सभा में निहित थी, फिर मैं अपने अधिकार में लेता हूँ ।

अनुसूची


क० सं०	मण्डल /जनपद	तहसील	टप्पा/ परगना	ग्राम सभा का नाम	गांव सभा स्थानीय	खाता सं०	आरजी नं०	पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र० (हे०में)	विवरण प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहण की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	विन्ध्याचल /मीरजापुर	मड़िहान	भगवत	निकरिका	निकरिका	- 307	107 108	1.024 5.084 योग-6.108	राजकीय पालिटेक्निक के भवन निर्माण हेतु


(एस०पी० दीक्षित)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

सं० व दि० उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपजिलाधिकारी मड़िहान को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराने व कम्प्यूटराइज्ड खतौनी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर ।


PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
MIRZAPUR


PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
MIRZAPUR

(एस०पी० दीक्षित)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।